भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
लोक सभा

***तारांकित प्रश्न संख्या : 306**

सोमवार, 8 अगस्त, 2016 को उत्तर दिए जाने के लिए

नमक कामगारों का कल्याण

*** ता.प्र.सं. 306. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोशः**

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नमक कामगारों के लाभार्थ कार्यान्वयनाधीन विभिन्न कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार नमक कामगारों हेतु अलग से विशेष कल्याण बोर्ड की स्थापना करने का है क्योंकि वे अत्यधिक कठिन जलवायु परिस्थितियों में कार्य करते हैं और गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा नमक कामगारों के कल्याण हेतु राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नमक कामगारों के कल्याण हेतु राज्य सरकारों को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

लोकसभा में दिनांक 8 अगस्त, 2016 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न सं. 306 के भाग (ग) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): सरकार नमक आयुक्त संगठन के माध्यम से, नमक कामगारों के कल्याण संबंधी अनेक कार्य करती रही है। इनमें मजदूरों के लिए विश्राम शैड का निर्माण, सामान्य स्वास्थ्य चिकित्सा एवं आंखों के जांच शिविर लगाना, प्रशिक्षण कार्यक्रम, खेल-कूद प्रतियोगिताएं आयोजित करना, वित्तीय सहायता तथा नमक कामगारों के मेधावी बच्चों के लिए पुरस्कार प्रदान करना शामिल हैं।

(ख) और (ग): जी, नहीं। नमक कामगारों के लिए एक अलग से विशेष कल्याण बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ): सरकार ने नमक आयुक्त संगठन के माध्यम से नमक कामगारों के कल्याण के लिए गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी है, जिसका ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है। इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को कोई निधियां सीधे आबंटित नहीं की जाती हैं।

*****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 8.8.2016 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न सं. 306 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

सरकार द्वारा नमक आयुक्त संगठन के माध्यम से नमक कामगारों के कल्याण के निष्पादन हेतु उपलब्ध कराई गई राज्यवार वित्तीय सहायता।

क्र. सं.	नमक उत्पादक राज्य का नाम	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17@	
		श्रमिक कल्याण कार्य							
		योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
1	गुजरात		22,91,865	1,50,000	26,96,898		3,36,976	30,00,000	28,27,000
2	कर्नाटक		14,000	1,37,775	1,08,000		17,500		
3	महाराष्ट्र		1,80,202	3,51,755	81,000		87,500		
4	पश्चिम बंगाल		13,500	-	25,000		11,000		
5	ओडिशा		1,18,500	2,51,776	1,49,000		92,000		
6	आंध्र प्रदेश		10,55,500	7,09,720-	9,81,306	2,85,826	9,14,726		
7	तमिलनाडु	1,10,600	9,88,184	5,56,148	9,49,589		7,22,000		
8	राजस्थान		11,80,091	2,62,384	10,90,706		29,000		
9	गोवा		4,500	-			-		
	उप-योग	**1,10,600**	**58,46,342**	**24,19,558**	**60,81,499**	**2,85,000 +10,00,000 *12,85,000**	**22,10,702**	**30,00,000**	**28,27,000**
	कुल	**59,56,942**		**85,01,057**		**34,95,702**		**58,27,000**	

- *1285000 रूपये - इसमें मास्टर प्रशिक्षकों के दो प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के लिए केंद्रीय नमक तथा समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर को भुगतान किए गए 1000000 रूपये शामिल हैं।*

  @ स्वीकृत राशि।